न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रा0 पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
58/2022	23.05.2022	14.09.2022

//उनवान//

1 धर्मा पत्नी उदयराम जाति जाट निवासी नांगलसिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0। :– प्रार्थिया

बनाम

1 संदीप कुमार पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी सुठानी तह0 बावल जिला रेवाड़ी, हरि0
2 मनोज कुमार पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी सुठानी तह0 बावल जिला रेवाड़ी, हरि0(हजफ)
3 खामोश (हजफ)
4 जगमती (हजफ)
5 रोशनी (हजफ)
6 बिन्दू (हजफ)
7 सुशीला पुत्रियान लक्ष्मीनारायण (हजफ)
8 हंसकौर पत्नी लक्ष्मीनारायण (हजफ)
9 भीमसिंह
10 वीरसिंह पुत्रान लक्ष्मीनारायण जातियान जाट निवासीयान सिरोडकला, तह0 मुण्डावर, अलवर
11 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
12 उपपंजीयक महोदय मुण्डावर

–: प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र– आदेश–39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 व धारा 212 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः– 1 श्री सीताराम चौधरी– वकील प्रार्थिया
2 श्री गंगाराम पटेल– वकील प्रार्थिगण सं0 1, 9, 10

निर्णय

दिनांक– 14.09.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश प्रार्थनापत्र पत्रावली धारा 212 काश्त0 अधि0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि विवादित आराजी ख0नं0 740/1.55 वाके ग्राम सिरोडकला एवं 235/1.15, 54/0.37 है वाके ग्राम नांगलसिया में स्थित होकर मिन प्रार्थिया का 4/9 भाग तथा अन्य अप्रार्थीगण 1 ल0 10 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार आराजी पर शामलात में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज दिन तक विधि तकासमा नहीं हु[illegible]जा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं0 1 ल0 10 विवादित आराजी के विशिष्ट भाग क[illegible]समा कराये बेचान करना चाहते है तथा मिन प्रार्थिया को हिस्से की आ[illegible] शामलाती आराजी में प्रेत्येक हिस्से पर इंच–इंच पर कब्जा [illegible] मिन प्रार्थिया अपने हिस्से दर्ज रिकॉर्ड का तकासमा बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स [illegible] की अधिकारी है आदि–आदि का अंकन करते हुये प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व ना[illegible] होने वाली क्षति बेहक मिन प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण आयद वो साबित है का अंकन करते हुये उक्त विवादित आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:46:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

बाबत अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 10 को बिला विधिक तकासमा कहीं रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुंतकिल ना करे ना ही प्रार्थिया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, बेदखल कर कब्जा नहीं करे। अंकन करते हुये मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीया के प्राथनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अंकित किया की विवादित आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा सही दर्ज नहीं है प्रार्थी ने गलत तथ्य पेश किये है। उक्त आराजी के सभी काश्तकारान ने बहामी बटवारा कर रखा है अलग–अलग काश्त कर रहे है कोई विवाद आराजी पर नहीं है। मिन अप्रार्थी का उक्त विवादित आराजी में 4/27 हिस्सा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा मुझ अप्रार्थी को अपनी आराजी को रहन बैय मुंतकिल करने का पूरा अधिकार कानूनन प्राप्त है जिसे प्रार्थी किसी भी सूरत में पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है अंकित करते हुये विशेष कथन में निवेदन किया कि विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 2 के संपूर्ण हिस्से को प्रार्थी स्वयं ने दिनांक 09.05.2022 को जरिये बैयनामा खरीद किया हुआ है और मिन अप्रार्थी के खिलाफ प्रार्थनापत्र दायर किया है जबकि प्रार्थी के समान ही मिन अप्रार्थी को भी सभी अधिकार हासिल है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र सिर्फ मिन अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से पेश किया है एवं शुद्धहस्त होकर नहीं आया है अंकन करते हुये प्रार्थी को उक्त प्रार्थनापत्र में कोई सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी सं0 9 व 10 ने भी प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीया नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथपत्र पेश किया है जिसके आधार पर प्रार्थीया का केस प्राईमा फैसाई आयद वो साबित नहीं है प्रार्थीया का हिस्सा सही दर्ज नहीं है, सभी काश्ताकरान बहामी बटवारा कर रखा है अलग–अलग काश्त कर रहे है, कोई विवादित आराजी पर नहीं है। मिन अप्रार्थीगण का विवादित आराजी में 4/27 हिस्सा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा अपनी आराजी को रहन बैय मुंतकिल करने का पूरा अधिकार कानूनन प्राप्त है इस प्रकार बिनायदावी व बिनायमुखास्मत वादिया की पैदा नहीं होती है अंकित करते हुये विशेष कथन में अंकन किया की प्रार्थीया ने उक्त विवादित आराजी में से अप्रार्थी सं0 2 के संपूर्ण हिस्से को स्वयं ने 09.05.2022 को जरिये बैयनामा खरीद किया है जबकि प्रार्थीया के समान ही मिन अप्रार्थीगण को भी सभी अधिकार कानूनन हासिल है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस बहक मिन अप्रार्थीगण होकर विरुद्ध प्रार्थी आयद व साबित है। प्रार्थीया शुद्धहस्त होकर नहीं आई है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र मय हर्ज–खर्चा किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस सुनी गई दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया की अप्रार्थीगण 1 ल0 10 राजस्व रिकॉर्ड में शामलात होने का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी के विशिष्ट भाग को बिना तकासमा कराये बेचान करना चाहते है तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से आराजी से बेदखल करना चाहते है। यदि वे अपने हिस्से को बिला विधिक तकासमा कराये बेचान कर दिया तो प्रार्थीया को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा दावा करना बमायना हो जाएगा इसलिए मूल वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया की प्रार्थीया ने [illegible] आराजी के बाबत अपना हिस्सा सही दर्ज नहीं किया और प्रार्थीया ने अप्रार्थी [illegible] का संपूर्ण हिस्सा [illegible] ने दिनांक 09.05.2022 को जरिये बैनामा खरीद कर लिया है जबकि [illegible] प्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिकार कानूनन हासिल है। प्रार्थीया शुद्धहस्त होकर नहीं आई है। [illegible] इस प्रकार सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने मौके पर काबिज है किसी भी प्रकार कोई विवाद नहीं है इस प्रकार सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस विरुद्ध प्रार्थीया होकर बहक अप्रार्थीगण आयद वो साबित है अभिकथन करते हुये प्रार्थीया के प्रार्थना को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:46:26 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस दरख्वास्त सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया प्रकरण वाले बिंदू को विरुद्ध प्रार्थीया बहक अप्रार्थीगण पाता है तथा जब प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक अप्रार्थीगण पाये जाने की स्थिति में सुविधा के संतुलन को भी बरखिलाफ प्रार्थीया पाते हुये बहक अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से पाता है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वाले दोनों ही बिंदू बहक अप्रार्थीगण साबित पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति के बिंदू को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रार्थीया पाते हुये बहक अप्रार्थीगण पाता है। अंततः यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को काबिल अस्वीकार पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है एवं पूर्व दिनांक 23.05.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

14-09-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर,
मुण्डावर अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:46:26 IST
Reason: SelfAttested